

राजस्थान सरकार



* रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र *

क्रमांक 3/भरतपुर 1980-91

यह प्रमाणित किया जाता है कि परशुराम शिखा
समिति, बघाना जिला भरतपुर का
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम
संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया ।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक 14 स माह अक्टूबर सन् एक हजार नौ सौ 80 को
भरतपुर में दिया गया ।

(जि/० स्व० परमार)
रजिस्टार संस्थाएं
रजिस्टार संस्थाएं
भरतपुर



शुक्रवार
मंत्री

परशुराम त्रिआ त्रिआ
भीतरवाड़ा, बघाना

3.8.80
प्राचार्य
परशुराम त्रिआ प्रमुख : महाविद्यालय
बघाना, भरतपुर

